

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही  
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

भरतकुमार रावल पुत्र गलबाजी, जाति- रावल, निवासी- कैलाशनगर, तहसील-शिवगंज, जिला- सिरोही

अप्रार्थी

ग्राम पंचायत, कैलाशनगर जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, कैलाशनगर, तहसील-शिवगंज, जिला- सिरोही

बनाम

पंचायत निगरानी संख्या: 23/2023

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री भैरुपाल सिंह बालावत, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द्र नामा, अप्रार्थी की ओर से

—: निर्णय :-

दिनांक 05 अप्रैल, 2023

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.01.2023 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाशनामा उपस्थित हुये, लेकिन अप्रार्थी ग्राम पंचायत, कैलाशनगर की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहने से अप्रार्थी का जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी के अधिवक्ता ने दस्तावेज फार्म नं. 3 के साथ प्रस्तुत किये।

(3) दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री बालावत ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी ग्राम कैलाशनगर का स्थायी निवासी है, जहाँ पर वह प्रार्थी अपनी चल अचल सम्पत्ति धारित करता है। प्रार्थी ने दिनांक 28.06.2012 को श्रीमती शशिकला पत्नी भूरमल, जाति-जैन, निवासी-कैलाशनगर से एक आबादी भूखण्ड मय कच्ची कैलूपोश कोटडी को मोल कीमतन 34000/- रुपये में पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये क्रय किया था, जिसका नाप उत्तर 17.06 फीट, 17.09 फीट, पूर्व में 11.09 फीट व पश्चिम में 7.09 फीट कुल नाप 180.375 वर्गफीट है तथा चतुर्दशी उत्तर में शाह अचलाजी देवाजी का नोहरा स्थित है, दक्षिण में रास्ता व प्लॉट का निकाल, पूर्व में आम रास्ता व प्लॉट का निकाल, पश्चिम में पन्नाजी पेराजी जैन का मकान स्थित है। प्रार्थी ने उक्त सम्पत्ति खरीद करने के पश्चात् दिनांक 26.2.2015 को ग्राम पंचायत कार्यालय, कैलाशनगर से नियमानुसार प्रार्थी की पत्नी के नाम भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर मकान का निर्माण करवाया है और उसी दिन गटर खोदने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया था। प्रार्थी ने उक्त मकान निर्माण करवाने के पश्चात् नयेसर निवास किया और पानी के कनेक्शन भी प्राप्त किये। प्रार्थी के मकान के पश्चिम दिशा में एक खण्डहरनुमा मकान जगा पना पेराज का स्थित था उन्होंने उक्त खण्डहरनुमा मकान मय भूखण्ड को योगेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश अग्रवाल को बेचान किया था। उक्त योगेन्द्र कुमार ने ग्राम पंचायत से खरीदशुदा भूखण्ड का दिनांक 01.10.2021 को अपनी माता के नाम ग्राम पंचायत, कैलाशनगर से पट्टा संख्या 01 बुक संख्या 57 मिसल संख्या 01 जारी करवाया था और उसी पट्टे के आध

.....पेज दा



अति. जिला कलेक्टर  
सिरोही (राज.)

उसी दिन मध्य रात्रि में उप पंजीयक कार्यालय में विक्रय विलेख किरण कुमार पुत्र लक्ष्मणजी रावल, निवासी- मिण्ड स्ट्रीट पार्ट टाउन, चेन्नई, तमिलनाडू को विक्रय कर दिया। उक्त किरण कुमार द्वारा अप्रार्थी के कार्मिकों से मेलमिलाप कर जाली पट्टा जारी करवाते हुए पट्टे से पूर्व ही अपने नाम पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित करवा दिया और उक्त विक्रय विलेख में चतुर्दशी उत्तर में जितेश मोटाजी रावल का मकान, दक्षिण में दरवाजा व आम रास्ता, पूर्व में गली व दरवाजा व भरत रावल का मकान व पश्चिम में दिलीप कुमार अम्बालालजी जैन का मकान होना अंकन किया। प्रार्थी के मकान की अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति में पश्चिम में योगेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश अग्रवाल का मकान स्थित होना दर्शाया है और उक्त योगेन्द्र कुमार ने अपने माता के नाम से ग्राम पंचायत, कैलाशनगर से जारी पट्टे में पूर्व दिशा में प्रार्थी का मकान दर्शाया है लेकिन उससे पूर्व गली व दरवाजा का गलत अंकन करवाया है जबकि मौके पर कोई गली पूर्व से स्थित नहीं थी और न ही आज कोई गली स्थित है। अप्रार्थी ने मौके की भौतिक स्थिति का निरीक्षण किये बिना योगेन्द्र कुमार की माता शकुन्तला देवी के नाम बिना भौतिक सत्यापन किये पट्टा जारी कर दिया और उक्त पट्टे में पूर्व दिशा में गली का अंकन किया है जो कि मौके पर ऐसी कोई गली अवस्थित नहीं है। उक्त पट्टे को अप्रार्थी ने योगेन्द्र कुमार शकुन्तलादेवी व किरण कुमार से मेलमिलाप कर गलत जारी किया है। यह कि प्रार्थी के मकान की पश्चिम दिशा में रसोई के पीछे 2 गुणा 6 फीट का छोटा सा स्टोर बनाया हुआ था। उक्त स्टोर प्रार्थी ने वर्ष 2015 में मकान निर्माण के समय बनाया था। किरण कुमार द्वारा दिनांक 01.10.2021 को उक्त भूखण्ड खरीदने के पश्चात् खण्डहरनुमा पडे भूखण्ड की साफ सफाई जेसीबी मशीन से करवाई थी तब किरण कुमार ने जबरन जेसीबी से प्रार्थी के रसोई में बनाये स्टोर की 6 फीट लम्बी दीवार को गिरा दिया था जिस पर किरण कुमार ने प्रार्थी को आश्वासन दिया था कि वह उक्त दीवार को अपने स्वयं के खर्चे से पुनः बनाकर देगा। प्रार्थी व किरण कुमार एक ही जाति के होने से प्रार्थी ने किरण कुमार की बातों पर विश्वास किया। कई दिनों तक किरण कुमार द्वारा उक्त दीवार का निर्माण नहीं करवाने पर प्रार्थी ने अपने स्वयं के खर्चे से पुनः दीवार का निर्माण करवा दिया। प्रार्थी के रसोई में बने हुए 2 गुणा 6 फीट के स्टोर से लगता हुआ किरण कुमार का भूखण्ड है एवं प्रार्थी व किरण कुमार के गली मौके पर स्थित नहीं है, फिर भी किरण कुमार ने दिनांक 22.02.2022 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय शिवगंज, दिनांक 10.06.2022 को पंचायत समिति शिवगंज एवं दिनांक 04.08.2022 को जिला परिषद सिरोही में परिवाद पेश कर बताया कि पडौसी भरत कुमार रावल पुत्र गलबाजी द्वारा इनकी भूमि पर अतिक्रमण किया है। उक्त किरण कुमार द्वारा ग्राम पंचायत के उच्च अधिकारियों को किये गये परिवाद पर दिनांक 23.12.2022 को अप्रार्थी एवं उनके अधिकारियों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया जिसमें प्रार्थी के द्वारा 2 गुणा 6 फीट अवैध निर्माण होना पाया गया, जो कि किरण कुमार के भूखण्ड से लगते हुए बताया गया। इस प्रकार, प्रार्थी व किरण कुमार के मध्य भूमि का विवाद होते हुए एवं सम्पूर्ण विवाद सिविल प्रकृति का होते हुए भी ग्राम पंचायत ने प्रार्थी को मिथ्या नोटिस प्रेषित करवाया और नोटिस का जवाब लिये बिना ही प्रार्थी को डराने धमकाने की नियत से उपखण्ड मजिस्ट्रेट शिवगंज को अपने पत्र क्रमांक 290 दिनांक 06.02.2023 को पुलिस इमदाद हेतु पत्र लिखते हुए प्रार्थी के घर के बाहर चस्पा किया, जबकि उक्त पत्र प्रार्थी से संबंधित नहीं होने के बावजूद उसके घर चस्पा किया। उक्त चस्पा नोटिस को प्रार्थी ने देखा तो ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत ने दिनांक 20.01.2023 को ग्राम पंचायत की सामान्य बैठक में प्रस्ताव संख्या 02 पारित कर प्रार्थी का रसोई में बना स्टोर तोड़ने हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट शिवगंज से इमदाद मांगी है और पत्र में दिनांक 16.02.2023 को अतिक्रमण हटाने की तिथि तय की गयी है। प्रार्थी ने वर्ष 2012 में उक्त भूखण्ड को


....पेज तीन पर



अति. जिला कलेक्टर  
सिरोही (राज.)

क्रय किया था तथा वर्ष 2015 में नियमानुसार ग्राम पंचायत से निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर मकान का निर्माण करवाया है और तब से प्रार्थी इसमें निवास कर रहा है। ग्राम पंचायत, कैलाशनगर ने रातोरात मिथ्या पट्टा शकुन्तलादेवी के नाम जारी कर किरण कुमार को उसी दिन शकुन्तलादेवी ने विक्रय किया है और उक्त विक्रय विलेख के पश्चात किरण कुमार ने अपने प्रभाव के आधार पर दो पक्षकारों के मध्य सिविल विवाद होते हुए भी ग्राम पंचायत को परिवाद प्रस्तुत किया व उक्त परिवाद के आधार पर सिविल विवाद होने के बावजूद ग्राम पंचायत ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर विधि एवं नियमों के विपरित प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.01.2023 पारित किया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार कर ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.1.2023 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी ग्राम पंचायत, कैलाशनगर के विद्वान अधिवक्ता श्री नामा ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि श्री किरण कुमार पुत्र लक्ष्मण जी रावल, निवासी-- कैलाशनगर द्वारा जिला परिषद्, सिरौही, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, शिवगंज व पंचायत समिति कार्यालय, शिवगंज में शिकायत प्रस्तुत कर बताया कि उसके द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय किये गये पट्टेशुदा मकान के पडौसी भरत कुमार पुत्र गलबाजी रावल, निवासी-- कैलाशनगर ने किरण कुमार के पट्टेशुदा भूमि में पूर्व दिशा में स्थित गली में अतिक्रमण कर निर्माण किया किया है। जिसकी मौका जांच दस्तावेजों के आधार सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज द्वारा सरपंच, उप सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, कैलाशनगर की उपस्थिति में दिनांक 23.12.2022 को की गई की, जिसमें मौके पर भूमि की पैमाईश करने पर यह पाया गया कि भरत कुमार रावल द्वारा 2 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट लम्बाई का कोना (निर्माण) अवैध व उसकी रजिस्ट्री में अंकित नाप से अधिक भूमि पर निर्माण पाया गया। जिस पर ग्राम पंचायत, कैलाशनगर की सामान्य बैठक दिनांक 20.1.2023 के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.1.2023 में अतिक्रमण हटाने का निर्णय पारित कर ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा प्रार्थी श्री भरत कुमार रावल को अतिक्रमण हटाने के संबंध में दिनांक 28.12.2022, 05.1.2023 व 12.1.2023 को नोटिस जारी किये गये, लेकिन प्रार्थी भरत कुमार रावल द्वारा नोटिस लेने से इनकार किया गया। यह कि प्रार्थी भरत कुमार रावल को इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरौही के पत्र क्रमांक:जिपसि/पंचायत/2020/1135 दिनांक 14.12.2022 के द्वारा भी नोटिस जारी कर किरण कुमार पुत्र लक्ष्मणजी रावल के मकान के पास स्थित मकान के संबंध में पट्टा एवं सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया था उसे भी भरत कुमार रावल ने लेने से इनकार किया। यह कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज के पत्र क्रमांक:पंसशि/एसबीएम/जांच/2022/67 दिनांक 17.6.2022 के द्वारा भी भरत कुमार रावल को नोटिस जारी कर दस्तावेज व सबूत प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया था, लेकिन भरत कुमार रावल द्वारा इन नोटिसों का कोई जवाब नहीं दिया व न ही अपने मकान से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये। प्रार्थी भरत कुमार रावल द्वारा किये गये उक्त अतिक्रमण को हटाने के संबंध में ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देशों के अनुरूप विधि सम्मत कार्यवाही की गई है। यदि अतिक्रमियों को शह प्रदान की जाती है तो अतिक्रमियों के हौसले बुलन्द होंगे। भरत कुमार रावल ने किरण कुमार रावल के क्रयशुदा मकान के पूर्व दिशा में अतिक्रमण कर निर्माण किया है, जिसे हटाने के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुरूप कार्यवाही की गई है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री किरण कुमार पुत्र लक्ष्मण जी रावल, निवासी-- कैलाशनगर द्वारा जिला परिषद्, सिरौही  
.....पेज चार पर



अति. जिला कलक्टर  
सिरौही (राज.)

व पंचायत समिति, शिवगंज में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि उसके द्वारा क्रय किये गये पट्टेशुदा मकान व भूखण्ड में स्थित गली में प्रडौसी भरत कुमार रावल द्वारा अतिक्रमण किया गया। जिसकी मौका जांच दस्तावेजों के आधार पर सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज द्वारा दिनांक 23.12.2022 को सरपंच, उप सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, कैलाशनगर की उपस्थिति में की गई, जिसमें भूमि की पैमाईश करने पर यह ज्ञात हुआ कि भरत कुमार रावल द्वारा 2 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट लम्बाई का कोना (निर्माण) अवैध एवं अपने रजिस्ट्री में अंकित माप से अधिक भूमि पर निर्माण किया गया है। जिस पर ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.1.2023 में प्रस्ताव संख्या 2 के द्वारा अतिक्रमण हटाने का निर्णय पारित करते हुए प्रार्थी भरत कुमार रावल पुत्र गलबाजी, निवासी- कैलाशनगर को ग्राम पंचायत, कैलाशनगर के पत्र क्रमांक 260 दिनांक 28.12.2022, 273 दिनांक 05.1.2023 व 277 दिनांक 12.01.2023 के द्वारा अतिक्रमण हटाने के संबंध में नोटिस जारी किये गये, लेकिन प्रार्थी भरत कुमार रावल ने नोटिस लेने से इनकार किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरौही के पत्र क्रमांक:जिपसि/पंचायत/2020/1135 दिनांक 14.12.2022 से प्रार्थी भरत कुमार को नोटिस जारी कर प्रार्थी भरत कुमार को उसके रहवासी मकान, जो कि किरण कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण जी रावल के मकान के पास स्थित है के पट्टा या अन्य कोई सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया था, लेकिन प्रार्थी-भरत कुमार रावल ने यह नोटिस भी लेने से मना किया। प्रार्थी भरत कुमार रावल को विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज के पत्र क्रमांक:पंसशि/एसबीएम/जांच/2022/67 दिनांक 17.6.2022 के द्वारा नोटिस जारी कर उसके मकान के दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया था, लेकिन प्रार्थी भरत कुमार रावल द्वारा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरौही व विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज को नोटिस का जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। प्रार्थी भरत कुमार रावल द्वारा ग्राम पंचायत, कैलाशनगर में भी नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नि श्री जगदीश प्रसाद, निवासी-कैलाशनगर को जारी पट्टा 01 दिनांक 01.10.2021 से संबंधित मकान मय भूखण्ड जिसे श्री किरण कुमार रावल पुत्र लक्ष्मण जी रावल, निवासी-कैलाशनगर द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 01.10.2021 के द्वारा कीमतन क्रय किया गया है के पूर्व दिशा में गली व दरवाजा, भरत कुमार रावल का मकान स्थित है। पत्रावली पर उपलब्ध सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज की उक्त मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 23.12.2021 में भी यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि प्रार्थी भरत कुमार रावल द्वारा अपने रजिस्ट्री में अंकित माप की भूमि से अधिक भूमि पर जो कोने का (लगभग 2 फीट चौड़ाई व 6 फीट लम्बाई) निर्माण किया गया है वह इनके रजिस्ट्री में अंकित भूमि से ज्यादा भूमि पर किया है जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।



(के.आर.खौड)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सिरौही